



F-07-08  
F-07-11

**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु -560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU – 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 1703 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1703**  
**विषय / Sub: कार्बन ब्रश, पार्ट सं.: एन377-7230-200 (555-119)**  
**Carbon Brush, Part No.: N377 – 7230-200 (555-119)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स नियोटेक कन्सल्टेन्ट्स एंड इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सं.45, इंडस्ट्रियल एरिया, बिरला नगर, ग्वालियर- 474 004 (मध्य प्रदेश), द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "कार्बन ब्रश", पार्ट सं.: एन377-7230-200 (555-119) को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1703, दिनांक 29 दिसंबर 2011 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1703 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

*This is to state that the "Carbon Brush" bearing the Part No.: N377-7230-200 (555-119), designed, developed and manufactured by M/s. Neotech Consultants and Engineering Private Limited, No.45, Industrial Area, Birla Nagar, Gwalior – 474 004 (M.P) was issued with Type Approval No.: 1703 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1703, dated: 29<sup>th</sup> December 2011 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन ( 03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), सेमिलैक, डी आर डी ओ, ओझर टाउनशिप-422 207 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> February 2018 and is valid up to 31<sup>st</sup> January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), CEMILAC, DRDO, Ojhar Township – 422 207, Nasik, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1703, दिनांक 29 दिसंबर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1703, dated: 29<sup>th</sup> December 2011 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र बेंगलूरू, (सेमिलैक) - 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।


*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1703/1R

दिनांक /Date : 0) February 2017

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

 01/02/18

  
(गंतायत गौड़ा वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')  
स्थानामन्त्र मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)  
Offg. Chief Executive (Airworthiness)